

राजनीतिका अपराधीकरण

प्रलिस के लयि:

राजनीतिका अपराधीकरण, आंतरकि लोकतांतरकि संरचनाएँ, भ्रषटाचार, जन अधनियम 1951, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), वधिआयोग

मेन्स के लयि:

राजनीतिका अपराधीकरण, इसके कारण और इसमें शामिल प्रमुख मुद्दे ।

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

वभिन्नि सांसदों, वधायकों और सरकारी कर्मचारयों पर महिलाओं के कथति यौन उत्पीड़न के हालयिा मामले, राजनीतकिे अपराधीकरण के एक चतिजनक पहलू तथा नैतिक ज़मिमेदारी, पेशेवर नैतिकता को बनाए रखने में वफिलता आदि जैसे नैतिक मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं ।

राजनीतकिे अपराधीकरण का क्या अर्थ है?

परचिय:

- राजनीतिका अपराधीकरण तब होता है जब आपराधिक आरोपों या पृषटभूमि वाले लोग राजनेता बन जाते हैं और वभिन्नि महत्त्वपूर्ण पदों एवं दायतियों के लयि चुने जाते हैं ।
- यह लोकतंत्र के बुनयिादी सिद्धांतों, जैसे चुनावों में नषिपक्षता, जवाबदेही और कानून का पालन, को प्रभावति कर सकता है ।
- यह बढ़ता खतरा हमारे समाज के लयि एक बड़ी समस्या बन गया है, जो लोकतंत्र के बुनयिादी सिद्धांतों, जैसे चुनावों में नषिपक्षता, कानून का पालन और जवाबदेह होने को प्रभावति कर रहा है ।

आँकडे:

- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रफॉर्मस (ADR) के आँकड़ों के मुताबकि, भारत में संसद के लयि चुने जाने वाले [आपराधिक आरोपों](#) वाले उम्मीदवारों की संख्या वर्ष 2004 से बढ़ रही है ।
- वर्ष 2009 की लोकसभा में 30% सांसदों पर आपराधिक मामले लंबति थे, जो वर्ष 2014 की लोकसभा में बढ़कर 34% हो गए ।
- वर्ष 2019 लोकसभा में, 543 लोकसभा सदस्यों में से 233 (43%) को आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ा ।
 - वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में 112 सांसदों (21%) को उनके वरिद्ध गंभीर आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ा, जनिमें बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के वरिद्ध अपराध शामिल थे ।

राजनीतकिे बढ़ते अपराधीकरण के क्या कारण हैं?

राजनेताओं और अपराधयों के मध्य संबंध:

- भारत में कई राजनेताओं ने आपराधिक आधारों के साथ घनषिठ संबंध स्थापति कयि हैं, जो अक्सर चुनाव जीतने के लयि अपने धन और बाहुबल का उपयोग करते हैं ।

कमज़ोर कानून प्रवर्तन और न्यायकि प्रणाली:

- भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में अक्सर धीमी, अकुशल और भ्रषट प्रक्रयिओं की वशिषता होती है, जसिसे आपराधिक पृषटभूमि वाले राजनेताओं पर प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाना तथा उन्हें दोषी ठहराना कठनि हो जाता है ।
 - राष्ट्रीय अपराध रकिॉर्ड ब्यूरो की एक रपिर्ट से पता चला है कि संसद और राज्य वधिानसभाओं के सदस्यों द्वारा कयि गए अपराधों के लयि सज़ा की दर वर्ष 2019 में केवल 6% थी ।

आंतरकि दलीय लोकतंत्र का अभाव:

- भारत में कई राजनीतकि दलों में कमज़ोर [आंतरकि लोकतांतरकि संरचनाएँ](#) हैं, जसिसे पार्टी नेताओं को उनकी ईमानदारी के आधार पर नहीं,

बल्कि चुनाव जीतने की उनकी क्षमता के आधार पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनने की अनुमति देती है।

○ आंतरिक दलीय लोकतंत्र का यह अभाव नागरिकों की अपने **प्रतनिधियों को जवाबदेह** ठहराने की क्षमता को कमजोर करता है।

■ **मतदाता उदासीनता और राजनीतिक जागरूकता का अभाव:**

○ कुछ मतदाता, विशेष रूप से ग्रामीण और नरिधन क्षेत्रों में, सुशासन एवं कानून के शासन के दीर्घकालिक वचारों पर आपराधिक समर्थति उम्मीदवारों द्वारा प्रदान किये गए तात्कालिक लाभों को प्राथमिकता दे सकते हैं।

राजनीतिक अपराधीकरण से जुड़े नैतिक मुद्दे क्या हैं?

■ **गैर-पक्षपात तथा जवाबदेही का अभाव:**

○ राजनीतिक वर्ग में कदाचार को संबोधित करने में वफिलता, जवाबदेही तथा **नैतिक मानकों की कमी को रेखांकित** करती है।

○ गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले सांसदों के उदाहरणों में महिलाओं से संबधित गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्तियों का बचाव करने का एक समान पैटर्न सामने आता है, जो पार्टी लाइनों से परे **नैतिक मानदंडों से अलगाव का संकेत** देता है।

○ यह अलगाव प्रायः अत्यधिक **पक्षपात तथा नैतिक आचरण पर सत्ता को प्राथमिकता देने से उत्पन्न** होता है।

■ **सार्वजनिक आक्रोश के माध्यम से लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का अभाव:**

○ **सार्वजनिक आक्रोश प्रायः राजनीतिक दलों में कार्रवाई के लिये उत्प्रेरक** के रूप में कार्य करता है, जैसा कि **प्रज्वल रेवन्ना** के मामले में देखा गया है।

● हालाँकि, घोटालों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की प्रतिक्रियाशील प्रकृतिलोकतांत्रिक प्रणालियों में **उत्तरदायित्व के एक व्यापक मुद्दे पर प्रकाश** डालती है।

○ कदाचार के ज्ञान के बावजूद, पार्टियों प्रायः तब तक नषिक्रिये रहती हैं, जब तक कि उनहें जनता के आक्रोश को संबोधित करने के लिये मजबूर नहीं किया जाता है, जनता के दबाव से परे जवाबदेही के अधिक मजबूत तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया जाता है।

■ **दण्ड से मुक्ति और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की संस्कृति:**

○ दण्ड से मुक्ति की संस्कृति राजनीतिक क्षेत्र में प्रसारित होती है, जहाँ मानदंडों और नियमों को असंगत रूप से लागू किया जाता है, जिससे व्यक्तिगत रूप से **महिलाओं पर उत्तरदायित्व का बोझ** डाला जाता है।

○ प्रणालीगत वफिलताओं के बावजूद, रेवन्ना की शकियतकर्त्ता अथवा उन्नाव बलात्कार पीड़िता जैसी साहसीमहिलाओं ने **अपराधियों को दोषी ठहराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका** निभाई है।

○ हालाँकि, **न्याय प्राप्त करने की उच्च व्यक्तिगत लागत दण्ड से मुक्ति को संबोधित** करने और राजनीतिक क्षेत्र में वास्तविक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिये प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

■ **महिला सशक्तीकरण एक भ्रम के रूप में:**

○ महिला सशक्तीकरण पर व्यापक एजेंडे के बावजूद, **सम्मान, समानता और सुरक्षा** जैसे **महिलाओं से संबधित मुद्दों** पर ठोस प्रगत नहीं हुई है।

● जबकि महिलाओं को मतदाता एवं कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के रूप में संगठित किया जाता है, उनकी **सामूहिक चिंताएँ प्रायः राजनीतिक एजेंडे की परधिपर** रहती हैं।

○ किये गए वादों और कार्रवाई के बीच का अंतर राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के मुद्दों पर सार्थक प्रगत की संभावना को कमजोर करता है।

■ **प्रतनिधित्व बनाम सशक्तीकरण:**

○ महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण के लिये केवल **न्यायसंगत प्रतनिधित्व** अपर्याप्त है। सच्चे सशक्तीकरण के लिये नैतिक मानकों को स्थापित करने और लागू करने की क्षमता की आवश्यकता होती है।

● **राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)** आदि जैसे निकायों के सीमति प्रभाव में प्रतनिधित्व और सशक्तीकरण के बीच का अंतर स्पष्ट है।

■ **गैर-पक्षपात से तात्पर्य** किसी विशेष राजनीतिक दल या वचारधारा से संबध न होने अथवा उसके प्रतनिधित्व न होने की स्थिति से है। यह राजनीतिक मामलों में तटस्थ एवं नषिपक्ष रहने तथा एक पार्टी या दूसरी पार्टी का पक्ष न लेने का वचार है।

राजनीतिक अपराधीकरण के नैतिक प्रभाव क्या हैं?

■ **सामाजिक दृष्टिकोण:**

○ **नैतिक ताने-बाने का क्षरण:** जब आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग सत्ता पर काबज़ होते हैं, तो इससे यह संदेश प्रसारित होता है कि कानून तोड़ना स्वीकार्य है, जिससे संभावित रूप से सामाजिक नैतिकता और कानून के प्रतनिधित्व कम होता है।

○ **नागरिक सहभागिता में कमी:** लोकतांत्रिक प्रक्रिया में **वशिवास कम होने की प्रबल संभावना** है। यदि नागरिकों को लगता है कि व्यवस्था भ्रष्ट और अनुत्तरदायी है, तो उनके वोट देने अथवा नागरिक जीवन में भाग लेने की संभावना कम होगी।

○ **असमानता एवं बहिष्करण:** अपराधीकरण हाशिये पर रहने वाले समुदायों को असंगत रूप से प्रभावित कर सकता है, उनके प्रतनिधित्व को सीमति कर सकता है, साथ ही उनके लिये **प्रासंगिक मुद्दों पर प्रगत में बाधा** उत्पन्न कर सकता है।

○ **अल्पकालिक लाभ पर ध्यान देना:** आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेता दीर्घकालिक सामाजिक विकास पर व्यक्तिगत लाभ या त्वरति सुधार को प्राथमिकता दे सकते हैं।

■ **लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य:**

○ **लोकतांत्रिक सिद्धांतों का कमजोर होना:** लोकतंत्र का एक मुख्य सिद्धांत ऐसे प्रतनिधियों का चुनाव करना है जो वधि के शासन को

बनाए रख सकें। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं में सत्यनिष्ठा तथा ईमानदारी जैसे आवश्यक नैतिक गुणों का अभाव होता है, जिसके कारण पक्षपात होने के साथ अनुचित वधि-निर्माण हो सकता है।

- **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव:** अपराधीकरण से धन शोधन, बाहुबल एवं धमकी जैसे कृत्यों के माध्यम से चुनावी प्रक्रियाओं को विकृत किया जा सकता है, जिससे ईमानदार उम्मीदवारों के लिये समान एवं उचित अवसरों में बाधा आ सकती है।
- **जवाबदेहता और पारदर्शिता:** जब आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग पद पर आसीन होते हैं, तो यह अपने कार्यों के लिये जवाबदेह नहीं रहते हैं, जिससे शासन की पारदर्शिता में कमी आती है।
- **भारत में विकास से संबंधित चुनौतियाँ:** अपराधीकरण से संसाधनों को व्यक्तगित लाभ में लगाकर या नहित स्वार्थों को महत्त्व देने से भारत के विकास में बाधा आ सकती है।

आपराधिक छव वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता के वधायी पहलू:

■ परिचय:

- इस संबंध में **भारतीय संविधान यह निर्दिष्ट नहीं करता** है कि संसद, विधानसभा या किसी अन्य विधानमंडल के लिये चुनाव लड़ने से किसी व्यक्ति को कनि आधारों पर अयोग्य ठहराया जा सकता है?
- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** में वधायिका का चुनाव लड़ने के लिये किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने के मानदंड का उल्लेख है।

- **अधिनियम की धारा 8** कुछ अपराधों के लिये दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने हेतु अयोग्यता प्रदान करती है, जिसके अनुसार दो वर्ष से अधिक सज़ायाफ़ता (जनि की न्यायालय द्वारा सज़ा तय कर दी गई है) व्यक्ति कारावास की अवधि समाप्त होने के बाद छह वर्ष तक चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है।
- हालाँकि **कानून उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से नहीं रोकता** है जनि के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं, इसलिये आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता इन मामलों में उनकी सज़ा पर निर्भर करती है।

■ राजनीतिक अपराधीकरण के खिलाफ पहल/सफ़ारिशें:

- वर्ष 1983 में **राजनीतिक अपराधीकरण पर बोहरा समिति का गठन** राजनीतिक-आपराधिक गठजोड़ की सीमा की पहचान करने और राजनीतिक अपराधीकरण से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों की सफ़ारिश करने के उद्देश्य से किया गया था।
- **वधिआयोग द्वारा प्रस्तुत 244वीं रिपोर्ट (2014) में वधायिका** में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिये गंभीर परिणाम उत्पन्न करने वाले आपराधिक राजनेताओं की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर विचार किया गया है।
 - वधिआयोग ने उन लोगों की अयोग्यता की सफ़ारिश की जनि के खिलाफ पाँच वर्ष या उससे अधिक की सज़ा के साथ दंडनीय अपराध के लिये नामांकन की जाँच की तारीख से कम-से-कम एक वर्ष पहले आरोप तय किये गए हैं।
- वर्ष 2017 में **केंद्र सरकार ने सांसदों और वधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के मुकदमों को तेज़ी से ट्रैक करने हेतु एक वर्ष के लिये 12 वशिष न्यायालय स्थापित करने की योजना** शुरू की।

■ राजनीतिक अपराधीकरण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय:

- **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिकॉर्म्स बनाम भारत संघ, (2002):**
 - वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को शैक्षिक योग्यता के साथ उसे अपने आपराधिक और वतितीय रिकॉर्ड की घोषणा भी करनी होगी।
- **PUCI बनाम भारत संघ (2004):**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चुनावी उम्मीदवारों के लिये अपने आपराधिक रिकॉर्ड को प्रदर्शित करने की आवश्यकता को समाप्त करने वाला कानून असंवैधानिक है। न्यायालय ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिये मतदाताओं को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने का अधिकार है।
- **रमेश दलाल बनाम भारत संघ (2005):**
 - वर्ष 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय सुनाया कि दोषी ठहराए जाने पर मौजूदा सांसद या वधायक को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और न्यायालय द्वारा दो वर्ष या उससे अधिक के लिये कारावास की सज़ा सुनाई जाएगी।
- **ललि थॉमस बनाम भारत संघ (2013):**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि संसद या राज्य विधानसभा का कोई भी सदस्य जो किसी अपराध के लिये दोषी ठहराया जाता है और दो साल या उससे अधिक की जेल की सज़ा भुगतता है, उसे पद धारण करने से अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- **मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014):**
 - दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति को केवल इसलिये चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि उस पर आपराधिक आरोप लगाया गया है।
 - हालाँकि न्यायालय ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारना चाहिये।
- **पब्लिक इंटरैक्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2019):**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल और समाचार पत्रों पर प्रकाशित करने का आदेश दिया है।
 - न्यायालय ने भारत नरिवाचन आयोग (ECI) को यह सुनिश्चित करने के लिये एक ढाँचा तैयार करने का भी नरिदेश दिया ताकि उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी प्रभावी ढंग से प्रसारित की जा सके।

आगे की राह

■ **जवाबदेही के लिये संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ बनाना:**

- राजनीतिक भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग की प्रभावी ढंग से जाँच करने तथा मुकदमा चलाने के लिये भ्रष्टाचार वरिधी एजेंसियों एवं न्यायपालिका को सशक्त बनाना ।
- पार्टी की मज़बूत आंतरिक अनुशासनात्मक प्रक्रियाएँ स्थापित करना जो पारदर्शी और नष्पिपक्ष हों ।
- ECI, NRHC और राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) जैसे नरीकषण नकियों की स्वतंत्रता एवं प्रभावशीलता सुनश्चिति करना ।

■ **नैतिक आचरण की संस्कृतिको बढावा देना:**

- नरिवाचति प्रतनिधियों और राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के लिये एक व्यापक आचार संहति वकिसति करना ।
- राजनीतिक वर्ग के सभी सदस्यों के लिये नैतिक प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम अनविर्य करना ।
- नैतिक मानदंडों के उल्लंघन के लिये अयोग्यता सहति कठोर दंड लगाना ।

■ **नागरिकों और नागरिक समाज को सशक्त बनाना:**

- मतदाताओं के बीच राजनीतिक जागरूकता और आलोचनात्मक सोच बढाने के लिये नागरिक शिक्षा में सुधार करना ।
- ज़मीनी स्तर के आंदोलनों और वकालत अभियानों सहति राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहति करना ।
- राजनीतिक कदाचार के मुद्दों की जाँच करने और उन्हें उजागर करने में स्वतंत्र मीडिया, नगरानीसंगठनों एवं कार्यकर्त्ताओं की भूमिका का समर्थन करना ।

नष्पिकरष:

भारतीय राजनीतिक कषेत्र में जवाबदेही और नैतिक मानकों को बहाल करना एक जटलि एवं दीर्घकालिक प्रयास होगा । हालाँकि, एक बहुआयामी दृषटिकोण जो संस्थागत, सांस्कृतिक और सामाजिक आयामों का समाधान करता है, अपराधीकरण एवं पक्षपातपूर्ण संरक्षण से संबंधित प्रवृत्तियों का मुकाबला करने में सहायता कर सकता है जसिने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को कमज़ोर कथि है ।

दृषटि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न: उदाहरणों की सहायता से राजनीतिक अपराधीकरण पर चर्चा कीजिये । साथ ही, इससे जुड़े प्रमुख नैतिक मुद्दों का भी उल्लेख कीजिये ।

प्रश्न: राजनीतिक अपराधीकरण से जुड़े नैतिक मुद्दों की गणना कीजिये । साथ ही, इसके नैतिक नहितारथ भी सुझाइए?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजिये- (2021)

1. भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को कसिी एक लोकसभा चुनाव में तीन नरिवाचन-कषेत्रों से लड़ने से रोकता है ।
2. 1991 में लोकसभा चुनाव में शरी देवी लाल ने तीन लोकसभा नरिवाचन-कषेत्रों से चुनाव लड़ा था ।
3. वर्तमान नथिमों के अनुसार, यदकि कोई प्रत्याशी कसिी एक लोकसभा चुनाव में कई नरिवाचन-कषेत्रों से चुनाव लड़ता है, तो उसकी पार्टी को उन नरिवाचन-कषेत्रों के उप-चुनावों का खर्च उठाना चाहिये, जनिहें उसने खाली कथि है बशरते वह सभी नरिवाचन-कषेत्रों से वजियी हुआ हो ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) 2 और 3

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. लोक प्रतनिधितिव अधनियिम, 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य वधियिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे वविदों के नरिणय की प्रक्रिया का वविचन कीजिये । कनि आधारों पर कसिी नरिवाचति घोषति प्रत्याशी के नरिवाचन को शून्य घोषति कथि जा सकता है? इस नरिणय के वरिद्ध पीडति पक्ष को कौन-सा उपचार उपलब्ध है? वाद वधियों का संदर्भ दीजिये । (2022)

प्रश्न.2 अक्सर कहा जाता है कि 'राजनीति' और 'नैतिकता' एक साथ नहीं चलते हैं । इस संबंध में आपकी क्या राय है? दृषटान्तों के साथ अपने

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/criminalisation-of-politics-2>

